International Journal of Applied Research 2017; 3(7): 1037-1040

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(7): 1037-1040
www.allresearchjournal.com
Received: 25-05-2017
Accepted: 26-06-2017

कविता मित्तल
प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत

दिब्या राय
शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत

Correspondence
कविता मित्तल
प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत

अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता कार्यक्रमः प्रासंगिकता एवं चुनौतियॉ

कविता मित्तल, दिब्या राय

सारांश
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम एक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम है। जो अन्य अकादमिक शिक्षा कार्यक्रमों से बिल्कुल भिन्न है। शिक्षकों में तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक चेतना, संसाधन सम्पन्नता तथा नवाचारिता के साथ सांस्कृतिक चेतना एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यदि भारतीय विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों के झरोखे से देखा जाए तो अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति चिन्ता एवं उसमें सुधार के सुझावों एवं सतत् प्रयासों को देखा जा सकता है। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), शिक्षा आयोग (1964–66), चटोपाध्याय समिति (1983–85) की रिपोर्ट में अध्यापक शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार, आंकलन व प्रत्ययन के संदर्भ में चिन्तन करते हुए अनेक सुझाव दिये गये।एन.सी.टी.ई. द्वारा सरकारी अधिसूचना लाकर वर्ष 2014 में बी.एड. कार्यक्रम को द्विवर्षीय घोषित कर दिया गया। इस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में न केवल अवधि बढ़ी है बल्कि नये घटकों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक शिक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया। साथ ही सर्वाधिक अभिनव रूप में माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 'प्रषिक्षुता (Internship)* को समाहित किया गया है। अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता कार्यक्रम का समॉकलन इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रशिक्षुओं में क्षेत्र लगाव जागृत कर उनके अनुकूल कार्यप्रदर्शन को अत्यधिक सुधारा जा सके। परन्तु वर्तमान समय में प्रशिक्षुता कार्यक्रम के कियान्वयन पक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियॉ भी उभरकर सामने आ रही है। इन चुनौतियों पर भी विचार करने की आवश्यकंता है। जिससे इस कार्यक्रम के कियान्वयन को और बेहतर बनाया जा सके ताकि प्रशिक्षु और व्यावसायिक क्षेत्र दोनो ही लाभान्वित हो सके।

मुख्य शब्दः अध्यापक, प्रशिक्षुता, कार्यक्रम, प्रासंगिकता, चुनौतियॉ, वैज्ञानिक

प्रस्तावना
19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्व व 20 वीं शताब्दी के पूर्वाद्व में विश्व के लगभग सभी देशों में अध्यापक के जन्मजात होने संबंधी मान्यता का खण्डन किया जाने लगा तथा धीरे – धीरे सभी देशों में यह स्वीकार किया जाने लगा कि शिक्षा और प्रशिक्षण देकर सुयोग्य अध्यापक तैयार किये जा सकते है। दूसरे अर्थों में अध्यापकों के शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा । पहले अध्यापक बनने के लिए केवल विषयवस्तु में निपुणता आवश्यक थी परन्तु बाद में शिक्षण योग्यता को भी आवश्यक माने जाने लगा।

एच. बी. मजूमदार के विचारों के अनुसार भी अध्यापक प्रशिक्षण के प्रत्यय को छोडकर अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय को अपनाने की आवश्यकता है। अब इस विचारधारा पर बल दिया जा रहा है कि एक शिक्षक पूरी तरह शिक्षित, पूर्ण विकसित मनुष्य एवं योग्य नागरिक होने के साथ –साथ व्यावसायिक भी हो।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम एक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम है। जो अन्य अकादमिक शिक्षा कार्यक्रमों से बिल्कुल भिन्न है। इस कार्यक्रम द्वारा विभिन्न स्तरों और विषय वर्ग के अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है कि वे शैक्षिक एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण करने व निर्वहन करने में सक्षम हो सकें तथा ज्ञान एवं मूल्यों का अगली पीढ़ी में हस्तानान्तरण करने में समर्थ हो सकें। शिक्षकों में तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक चेतना, संसाधन सम्पन्नता तथा नवाचारिता के साथ सांस्कृतिक चेतना एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।

यदि भारतीय विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों के झरोखे से देखा जाए तो अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति चिन्ता एवं उसमें सुधार के सुझावों एवं सतत् प्रयासों को देखा जा सकता है। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), शिक्षा आयोग (1964–66), चटोपाध्याय समिति (1983–85) की रिपोर्ट में अध्यापक शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार, आंकलन व प्रत्ययन के संदर्भ में चिन्तन करते हुए अनेक सुझाव दिये गये।

शिक्षा आयोग (1964–66) की रिर्पोट में सुझाया गया कि अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालय और विद्यालय दोनों से जुड़ा रहना चाहिए। इस रिर्पोट में विस्तार से प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की तैयारी के आयामों–पाठ्यचर्या और संस्थागत सुधारों की चर्चा की गयी है। इस आयोग ने यह भी सुझाया कि माध्यमिक शिक्षकों की तैयारी के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। वर्ष 1978 में एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा 'करीकुलम फ्रेमवर्क' में अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया। इस रूपरेखा में पहली बार सिद्धान्त और प्रयोग के समेकन और कार्य आधारित अध्यापक शिक्षा की पैरवी की गयी। सूक्ष्म शिक्षण व अनुरूपण शिक्षण को अपनाने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने सेवापूर्व और सेवारत अध्यापक शिक्षा को परस्पर संबंधित माना। इसमें संस्थागत सुधारों के लिए जिला शिक्षक–प्रशिक्षण केन्द्रों ;डाईटद्ध, उच्च शिक्षा संस्थान (आई.ए.एस.ई.) की स्थापना, शिक्षा में तकनीकी और प्रौद्योगिकी के प्रयोगों और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले ढ़ाचों के विकास की बात की। एन.सी.टी.ई एवं एन.सी.ई. आर.टी. ने वर्ष 1988 में पुनः अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा प्रस्तुत की । इसमें समन्वित उपागम अपनाया गया। इसमें आधारभूत पाठ्यक्रम में सामाजिक –दार्शनिक संदर्भों पर बल देने के साथ–साथ अवस्थानुसार शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों को भी संबद्व किया गया। इस पाठ्यचर्या समिति द्वारा अध्यापक शिक्षा की सम्पूर्ण पाठ्यचर्या को तीन विस्तृत क्षेत्रों में रखा गया– आधारभूत पाठ्यक्रम, शैक्षिक स्तर की विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम और क्षेत्र आधारित कार्यानुभव। यशपाल कमेटी (1993) ने यह रेखांकित किया कि भारतीय अध्यापक शिक्षण संस्थान गुणवत्ता व आवश्यकता के पटल पर निर्बल हैं। अतः भारतीय अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ अधिक से अधिक प्रायोगिक अभ्यासों की मुख्य आवश्यकता है। इसी क्रम में एक नवीन प्रयास वर्ष 1998 में हुआ और एन.सी.टी. ई. द्वारा अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। इसमें शिक्षक की पहचान को मजबूती प्रदान करते हुए उसे समर्थ, प्रतिबद्ध और सतत् सीखने में लगा हुआ वृत्तिक माना गया। पाठ्यचर्या के क्षेत्र को विशेषीकृत करते हुए उसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की व्यवस्था की गयी।

इस प्रकार देख सकते हैं कि वर्ष 1978 में शिक्षण कार्यों में सहभागिता, वर्ष 1988 में तकनीकी ग्राह्यता और वर्ष 1998 में समर्थ शिक्षक की परिकल्पना के साथ अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्याओं को आकार दिया गया।

इक्कीसवीं शताब्दी का पहला दशक अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दशक रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालयी पाठ्यचर्या (NCFSC-2005) के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण ज्ञानमीमांसीय और शिक्षण शास्त्रीय सुधारों को सुझाया गया। इस प्रकार के सुधार ने शिक्षक की भूमिका को नये तरीके से परिभाषित किया। शिक्षक को 'ज्ञान का दाता' न मानकर 'ज्ञान का सहनिर्माता' माना गया। शिक्षक की परिकल्पना में उसे शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंध के प्रति गहन आलोचनात्मक दृष्टि से युक्त माना गया। अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 (NCFTE-2009) में भी शिक्षक को एक प्रमुख भागीदार माना गया है। इस पाठ्यचर्या में कहा गया कि हमें ऐसे अध्यापक चाहिए जो अधिगमकर्ता केन्द्रित, गतिविधि आधारित, सहभगिता आधारित अधिगम अनुभव बच्चों को दें, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक मूल्याकन करें तथा साथ ही साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या संदर्भ बदलें।

विगत दशक में तैयार की गयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 और न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट 2012 ने अध्यापक शिक्षा में आमूल–चूल बदलाव की पुरजोर सिफारिश की है। ऐसी स्थिति में 'नये तरह के विचारों' के जन्म एवं उनका प्रसार विश्वविद्यालयों का दायित्व बनता है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1994 में बी.एल.एड. कार्यक्रम ने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक नये प्रगतिशील प्रोग्राम का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन आधारों पर एन.सी.टी.ई. द्वारा सरकारी अधिसूचना लाकर वर्ष 2014 में बी.एड. कार्यक्रम को द्विवर्षीय घोषित कर दिया गया। इस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में न केवल अवधि बढ़ी है बल्कि नये घटकों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक शिक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया।

इस द्विवर्षीय बी.एड़ पाठ्यक्रम में अन्य पाठ्यक्रमीय क्षेत्रों पर बल देने के साथ ही सर्वाधिक अभिनव रूप में प्रशिक्षुता (Internship) कार्यक्रम को समाहित किया गया है।

प्रशिक्षुता क्या है?

प्रशिक्षुता का अर्थ किसी समर्थवान पर्यवेक्षक के निर्देशन में व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त करने को समाहित करता है। जिसमें विद्यार्थी अपने सैद्धान्तिक ज्ञान का जिसे उसने कक्षाओं में सीखा है, उसका परीक्षण करता है। यहाँ प्रशिक्षुता में वे सभी महत्वपूर्ण अनुभव सम्मिलित है जो वास्तविक कार्यक्षेत्र में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। यह सार्थक कौशलों का विकास करने के साथ–साथ विद्यार्थियों में संबंधित व्यवसाय के प्रति संवेदनशीलता एवं विशिष्ट अभिवृत्ति का भी विकास करता है।

मैकमोहन एण्ड कीन्न (1995) ने कहा है कि '' प्रशिक्षुता कार्यक्रम निरीक्षण योग्य कार्यानुभव है, जिसमें विद्यार्थी अपने संस्थान को छोड़ता है और कार्य आधारित कार्यक्रम में व्यस्त हो जाता है एवं उस समयावधि के दौरान वे उस पेशे मे उपस्थित आश्रयी द्वारा बारीकी से निरीक्षित किये जाते हैं।''

प्रशिक्षुता कार्यक्रम की प्रासंगिकता

प्रशिक्षुता एक ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों (Intern) को मूल्यवान प्रयोगात्मक अनुभव को प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही वे अपने व्यावसायिक क्षेत्र के वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं। यह कार्यक्रम उन्हें तय की गयी वृत्तिक राह के विषय में विचारशील बनाता है, साथ ही साथ नियोक्ताओं में विद्यमान योग्यता एवं कार्य नैपुण्यता के निरीक्षण एवं ग्रहण करने का अवसर भी प्रदान करता है। अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता कार्यक्रम की प्रासंगिकता निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होती है–

- प्रशिक्षुता कार्यक्रम शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया में सैद्वान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की खाई को पाटता है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं (Intern) को सेवा गतिविधियों में व्यस्त रखते हुए उन्हें अभ्यासात्मक एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है जिससे उनके कार्य क्षेत्र घटकों को समझने की शक्ति में प्रासंगिक रूप में बढ़ोत्तरी होती है।
- प्रशिक्षुता कार्यक्रम एक निरीक्षणपूर्ण अनुभवात्मक कार्यक्रम है। यह विद्यार्थी के लिए अत्यन्त लाभप्रद है। इस निरीक्षण का प्रभाव जब वह अपने अनुभव को कार्यस्थल पर प्रयोग करेगें उस समय दिखायी देगा क्योंकि वहॉ पर आने वाली समस्याओं को वह अच्छी प्रकार से हल कर पायगें। प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रशिक्षुओं के ज्ञानआधार (knowledge base) व अभिप्रेरणा स्तर में सकारात्मक एवं सार्थक रूप सें वृद्धि करने में योगदान देता है।
- प्रशिक्षुता कार्यक्रम के दौरान जब प्रशिक्षु कार्यक्षेत्र की वास्तविकताओं के मध्य कार्य करता है तो एक शिक्षक के स्वरूप के विषय में जो उसकी पूर्व संकल्पना है वह यथार्थ स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात यही संकल्पना

भविष्य में उनसें संबंधित कैरियर में उपयुक्त अभिवृत्ति एवं रूचि जागृत करने में सहायक होती है।

- इस कार्यक्रम के माध्यम से नियोक्ता, संगठन और प्रशिक्षुओं (Interns) के बीच की साझेदारी को विकसित किया जाता है जो सभी के लिए लाभकारी एवं उपयोगी हो सकें।
- इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता यह भी है कि यह प्रशिक्षुओं को 'वास्तविक कार्यक्षेत्र परिस्थिति' के प्रति संवेदनशील बनाता है। जिससे प्रशिक्षुओं को अपने वृत्तिक लक्ष्य को शैक्षणिक समयावधि में ही स्पष्ट करने में सहायता प्राप्त हो सके।
- यह कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को भावी कार्यक्षेत्र के वातावरण से परिचित कराने के साथ–साथ उन्हें निर्णय लेने योग्य भी बनाता है।
- अध्यापक शिक्षा में इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु (Intern) सफलतापूर्वक स्व संबंधी दक्षता,शिक्षण कौशल, तकनीकी ज्ञान, समय व्यवस्थापन, सम्प्रेषण कौशल; टीम कार्य, ज्ञान में परिपक्वता एवं कार्य करने की योग्यता को सीखते हैं।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में इण्टर्नशिप प्रत्यय का उपयोग वैश्विक संदर्भ में कोई नवीन घटना नहीं है क्योंकि अन्य देशों में यह घटक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में पहले ही समाहित एवं संचालित किया जा चुका है। भारत में RIEs द्वारा चार वर्षीय समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षुता (Internship) को लागू किया गया था। वर्ष 2015 से निर्धारित अध्यापक शिक्षा के द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में भी प्रशिक्षुता को एक अभिन्न घटक के रूप में सम्मिलित किया गया।

चुनौतियॉ

अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता कार्यक्रम का समॉकलन इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रशिक्षुओं में क्षेत्र लगाव जागृत कर उनके अनुकूल कार्यप्रदर्शन को अत्यधिक सुधारा जा सके। अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता कार्यक्रम से संबंधित कुछ चुनौतियॉ भी उभरी हैं जो इस प्रकार हैं–

- प्रशिक्षुता कार्यक्रम के दौरान पूर्णकालिक रूप से विद्यालयों का सरलता से उपलब्ध न होना एक ध्यातव्य प्रश्न के रूप में सामने आ रहा है।
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को द्विवर्षीय कर देने से विद्यार्थी शिक्षकों में इसके समयावधि में वृद्वि को लेकर अनेक परेशानियॉ उभरकर आ रही हैं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी नामांकन संख्या में गिरावट आयी है एवं महिला विद्यार्थियों को तो यह और अधिक हतोत्साहित कर रहा है। क्योंकि उनके साथ अनेक तरह की स्थितियां है। इसलिए वे द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा में कम रूचि दिखा रही हैं। इसलिए प्रशिक्षुता को वैतनिक करने पर विचार किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है, ताकि उन्हें कुछ पुनर्बलन मिल सके।
- एन.सी.टी.ई. के आदेशानुसार राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता के लिए सरकारी विद्यालयों को अनिवार्य बना दिया गया है। भारत में सरकारी विद्यालय जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है उनकी संसाधनगत स्थितियों से हर कोई भलिभॉति परिचित है। वहॉ भौतिक के साथ मानवीय संसाधनों का भी अभाव होता है। अब यदि प्रशिक्षुओं को इस प्रकार के विद्यालयों में प्रशिक्षुता के लिए भेजा जायेगा तो वे जो अनुभव लेकर आयेगें उसका स्तर भी निम्न होगा। मात्र इस तरह के अनुभवों को प्राप्त कर वे भविष्य में एक दक्ष एवं अभिप्रेरणयुक्त (Motivational) अध्यापक बन सकेगें यह भी विचारणीय है।
- यद्यपि सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता के लिए भेजने के पीछे यह उद्देश्य है कि विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है वह पूरी होगी तथा साथ ही साथ इन विद्यालयों में प्रशिक्षुओं द्वारा नयें विचारों एवं रचनात्मकता का भी संचार होगा। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि दूर दराज क्षेत्रों में स्थित विद्यालय जहॉ वास्तविक रूप से शिक्षकों की कमी है वहॉ तक प्रशिक्षु पहुॅच पायेगें।
- प्रशिक्षुता कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य नियोक्ता, संगठन और प्रशिक्षुओं (Intern) के बीच की साझेदारी को विकसित करना भी है। क्या केवल सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षुता को निर्धारित करने से इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगीं ? क्योंकि वहॉ उनके कार्यप्रदर्शन एवं दक्षता को देखते हुए नियुक्ति प्राप्त करने का अवसर उन्हें सहज उपलब्ध नही है क्योंकि इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियॉ केवल सरकार के माध्यम से ही होती है। दूसरी तरफ निजी विद्यालयों में जहॉ नियुक्ति के अवसर हैं वहॉ उन्हें कार्य प्रदर्शन एवं दक्षता अर्जन की अनुमति नही है।
- एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रशिक्षुता कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रशिक्षुओं को केवल सरकारी विद्यालयों में भेजे जाने का निर्देश लागू किया गया है। परन्तु इस तरह से प्रशिक्षुओं को विद्यालयी विविधता जैसे–समावेशी विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, केन्द्रिय विद्यालय, निजी विद्यालयों से भिन्न–भिन्न प्रकार के विद्यालयी अनुभव प्राप्त करने संबंधी चुनौती भी उभरकर सामने आ सकती है।

अतः इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता कार्यक्रम को सम्मिलित करके इसके माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षकों को कार्यक्षेत्र संबंधी वास्तविक अनुभव प्रदान करने के साथ–साथ सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष को एकीकृत करने का प्रयास भी किया गया है। इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थी शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता एवं अध्यापकीय प्रवृत्ति विकसित करना, विद्यालयी कार्यस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना एवं उन्हें शिक्षण कौशलों से सम्पन्न बनाना है। यद्यपि इसके बहुधा सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु साथ ही साथ इसके क्रियान्वयन में उभरकर सामने आ रही चुनौतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकंता है। जिससे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाया जा सके ताकि प्रशिक्षु और व्यावसायिक क्षेत्र दोनो ही लाभान्वित हो सके।

सन्दर्भ

1. ऋषभ, कुमार मिश्र, शिक्षक शिक्षा में बदलाव की पहल, चुनौतियॉ एवं संभावनाऍ, परिप्रेक्ष्य, 2014, वल्यूम 21 अंक 2पृष्ठ सं–39–51।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति. (1986),भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार. (1964–66), शिक्षा आयोग का प्रतिवेदनः शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया. (1988), नेशनल करीकुलम ऑफ टीचर एजुकेशनः नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर एजुकेशन, न्यू देहली।
5. पुनर्संशोधित कार्य योजना. (1992), भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या प्रारूप.(1996), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
7. करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एजुकेशन. (1998), परिचर्चा दस्तावेज, नेशनल करीकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन, न्यू देहली।

8. गुणात्मक अध्यापक शिक्षा का पाठ्यचर्या प्रारूप. (1999), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या प्रारूप (2009), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।